28/4/26 Ahm अभि. । अभियुक्त सुरेन्द्र व श्रवण कुमार की धा. 111 जाब्ता अन्तर्गत अर्जी माननीय पेश हुई जो आज हेतु व्यवस्था की गयी। ग्राम पं 2,3 व 5 की तामील उनका पते पर निवासरत नहीं होने के नोट के साथ वापस हुई। अभियोजन को ग्राम पं 2,3 व 5 का पता पेश करने व ग्राम पंचायत के बोर्ड पर पेश करने हेतु एक अवसर दिया जाता है। निश्चित समय में ग्राम की सूचना लेखबद्ध नहीं किया जाना संभव नहीं है। ग्राम पं 7 व 8 की जब्ति सूचना तक किया जाकर तामील पर प्रतिवेदन नोट अंकित हो। SHO को पुनः नियम जारी पत्र वारंट हेतु दिनांक 2/5/26 को पेश हो।

जिला मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
लक्ष्मणगढ़ (सीकर) राजस्थान